प्रतिलिपि आदेश दिनांक 11-8-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0क्र0 निग0 2225-तीन/14 विरुद्ध आदेश दिनांक 11-6-14 पारित द्वारा [illegible] राजस्व निरीक्षक मण्डल बिजावर के सूचनापत्र दिनांक 11-6-14 से दुखित होकर ।

1- बाबूलाल श्री पिरबा अहिरवार
निवासी ग्राम पठारी रोड बिजावर
जिला छतरपुर म0प्र0 अन्य-1 --- आवेदकगण

विरुद्ध

ललिया तनय लटोरा अहिरवार
निवासी पठारी रोड बिजावार
जिला छतरपुर म0प्र0 अन्य-1 -- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 2225– तीन/2014 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11.8.14	मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी तहसीलदार विजावर जिला छतरपुर व्दारा प्र0क0 16/अ–3/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 31–7–2007 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 23–7–14 को प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया कि तहसीलदार के आदेश की जानकारी उन्हें राजस्व निरीक्षक व्दारा जारी सूचना पत्र दिनांक 11–6–14 से हुई है। राजस्व निरीक्षक के सूचना पत्र दिनांक 11–6–14 की छायाप्रति के अवलोकन पर पाया गया कि यह सूचना पत्र राजस्व निरीक्षक ने ग्राम विजावर की आराजी कमांक 1337/1 अ एंव 1338/2 अ का दिनांक 14–6–2014 को दोपहर वाद सीमांकन करने के संबंध में जारी किया गया है, जबकि तहसीलदार ने आदेश दिनांक 31–7–2007 से आराजी कमांक 1337/1 अ एंव 1338/2 अ का नक्शा तरमीम किया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि आवेदकगण को नक्शा तरमीम आदेश दिनांक 31–7–07 की जानकारी यथासमय नहीं हुई, क्योंकि उक्त भूमि के भूमिस्वामी व्दारा नक्शा तरमीम कराकर यथासमय नक्शे की चतुर्सीमाओं अनुसार भूमि पर कब्जा किया होगा। अतएव तहसीलदार के आदेश दिनांक 31–7–07 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 23–7–14 को 07 वर्ष के अंतराल में प्रस्तुत निगरानी अवधि वाह्य है। 4/ तहसीलदार विजावार ने आदेश दिनांक 31–7–2007 से आराजी कमांक 1337/1 अ एंव 1338/2 अ का नक्शा तरमीम किया है और यह आदेश उन्होंने	

संहिता की धारा 70 सहपठित 67 एंव 68 (आ) एंव धारा 24 की टिप्पणी ई (9) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन पारित किया है जिसके कारण तहसीलदार का आदेश अपील योग्य आदेश है ऐस आदेश के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी विचार योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त कारणों से निगरानी अग्राहृय होने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जाय।

12/8/14

सदस्य